शोध सारांश

प्रस्तावना-

मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ-साथ ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी का प्रेमी भी रहा है। उसकी वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता ने उसे एक तरफ पृथ्वी ताल से ऊपर चाँद तक ले गई तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के सीने को चीरकर कई किलोमीटर अन्दर तक पहुंचाई। मनुष्य ने आज अपने लिए जो भी कुछ भव्य सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है। यह प्राकृतिक/मानवीय संसाधनों पर संभव हुआ है। संसाधन का अभिप्राय किसी भी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से है। ये संसाधन मानव अभिक्षमता के आधार पर बनते हैं। जहाँ प्राकृतिक संसाधन में जल, जंगल, जमीन, खनिज, उप खनिज होते हैं वहीं मानवीय संसाधन मानव श्रम होते हैं और इन दोनों के उपयोग से मानव अपने जीवन उपयोगी सुविधा के साधन तैयार करता है। प्राकृतिक संसाधन में वे संसाधन जो पृथ्वी के अन्दर से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज संसाधन कहते हैं। सच में देखा जाय तो इन खनिज संसाधनों का मानव सभ्यता के विकास में जितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है उतना किसी संसाधन का नहीं रहा है। इसलिए पृथ्वी के गर्भ को खजानों का खान कहा जाता है। पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, लोहा, बाक्साइड, कोयला, सोना, चाँदी, हीरा, तांबा, पत्थर सिलिका जैसे धातु एवं पदार्थ इसी पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होते हैं।

आज दुनिया के जो देश जितना खनिज पदार्थ के उत्खनन एवं खनन में आगे हैं वह उतना ही अधिक ताकतवर एवं शक्तिशाली हैं। खाड़ी देशों ने अपने विकास का स्तम्भ खनिज तेल के बल पर खड़ा किया वहीं अमेरिका एवं रसिया अपने यहाँ अपर मात्रा में पाए जाने वाले लौह अयस्क एवं कोयला के बल पर विकास का प्रतिमान खड़ा किया। भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 लाख एवं जनसंख्या 1.24 अरब है। भारत का दक्षिणी भाग प्राचीन चट्टानों से बना है जो अरावली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जिसका खनिज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीँ उत्तरी भाग गंगा- यमुना एवं ब्रम्हपुत्र का मैदान होने के कारण खनिज उत्पादन के लिहाज से निर्धन है। जहाँ तक शोध क्षेत्र का सम्बन्ध है तो यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी अंचल है जिसमें चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, महोबा के जिले हैं भारत में सिलिका खादन कामगारों के पंजीकरण की केंद्रीय व्यवस्था नहीं हैं जिसके कारण इनके वास्तविक संख्या का आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। इसके बावजूद एक अनुमान से लाखों की संख्या में मजदूर पत्थर खनन एवं सिलिका सैंड उद्योग में कार्यरत हैं यह क्षेत्र सिलिका सैंड, पत्थर, गिट्टी, मोरंग सहित खनिजों एवं उप खनिजों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन शोध की समय सीमा का ध्यान रखते हुए यह शोध इलाहबाद जिले में शंकरगढ़ ब्लाक के जनवा गांव में मौजूद सिलिका के तीन खदानों में कार्यरत सिलिका खदान श्रमिकों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति, कार्यस्थल की स्थिति एवं उनकी समस्याओं से सम्बंधित है, यह क्षेत्र उत्तरप्रदेश में सिलिका उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ सबसे उन्नत किस्म का सिलिका सैंड पाया जाता है।

मूलभूत शोध प्रश्न

- सिलिका खदान श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या है?
- सिलिका खदान में पर्यावरण एवं माइन एक्ट के क्रियान्वयन की वास्तविकता क्या है?
- सिलिका खदान मजदूरों की कार्य स्थिति कैसी है ? तथा उनकी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

शोध का उद्देश्य

- उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- उत्तरदाताओं के कार्य स्थल पर आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
- सिलिका खदानों मे पर्यावरण एवं माइन्स एक्ट के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
- संभावित समाज कार्य हस्तक्षेप का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र परिचय :

जनवाँ गाँव चित्रकूट एवं मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ गाँव है। जनवाँ गाँव सिलिका खदान एवं पत्थर खदान का महत्वपूर्ण केंद्र है। पहले जनवाँ गाँव में सिलिका सैंड की आठ खदानें थीं। अब वर्तमान समय में जनवाँ में सिलिका सैंड की तीन खदानें हैं। पूर्व में कुल शंकरगढ़ में सिलिका सैंड स्वीकृत 48 पट्टों में 8 पट्टे जनवाँ गाँव में थे यानी कुल शंकरगढ़ की खदानों का 17 प्रतिशत सिलिका खदानें जनवाँ गाँव में थी। वर्तमान में स्वीकृत शंकरगढ़ की 12 खदानों में 3 खदानें जनवाँ गाँव में हैं यानी कुल शंकरगढ़ की खदानों का 25 प्रतिशत खदानों का हिस्सा जनवाँ गाँव का है जनवाँ गाँव के लोगों का मुख्य पेशा खदान का कार्य है। जहाँ जनवाँ गाँव की सवर्ण जातियों के लोग ठेकेदारी का कार्य करते हैं। वहीं दलित जातियों के लोग खदान मजदूरी का कार्य करते हैं। जनवाँ गाँव ही नहीं जनवाँ पंचायत भी है जिसमें टकटई, आमगोदर, लेदर, मौहर, अभयपुर, छिपिया गाँव आते हैं। जनवाँ गाँव के अलावा लेदर, मौहर, अभयपुर छिपिया गाँव शंकरगढ़ राजपरिवार के खनन पट्टे के गाँव हैं, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है जनवाँ पंचायत की सीमा से सटे बिहरिया एवं गाढ़ा कटरा पंचायतें हैं। जो राजपरिवार के खनन पट्टे के गाँव हैं। जनवाँ पंचायत की सीमा से जुड़ा मध्य प्रदेश है। जनवाँ पंचायत से सटा मध्य प्रदेश का मझियारी स्टेशन है जो इलाहाबाद की तरफ से आने पर शंकरगढ़ के बाद आता है और चित्रकूट की तरफ से आने पर शंकरगढ़ से पहले आता है। जनवाँ पंचायत की आबादी करीब 2000 है। पंचायत में सबसे ज्यादा आबादी 600 के करीब कोल समुदाय की है। जनवाँ पंचायत में जनवाँ गाँव, छिपिया गाँव, बेड़वा पहाड़ महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र हैं, जनवाँ गाँव से शंकरगढ़ स्टेशन की दूरी 08 किलोमीटर के लगभग है। जनवाँ ग्राम पंचायत में 21 नवम्बर 1997 को टकटई गाँव निवासी प्रधानपति रामजतन कोल की सड़क जाम के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई हत्या महत्वपूर्ण घटना है। जनवाँ पंचायत में सवर्ण सामंती शक्तियों का मजबूत वर्चस्व है। जबकि यह दलित बहुल पंचायत है यदि कोल को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख

दिया जाय तो पंचायत में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की होगी। जनवाँ पंचायत में समय- 2 पर कई राजनीतिक –सामाजिक संगठनों ने कार्य किया है जिसमें भाकपा (माले), महिला समख्या, संकल्प, खदान मजदूर यूनियन महत्वपूर्ण हैं। खदान मजदूर यूनियन अभी भी सक्रिय है। खदान मजदूर यूनियन अध्यक्ष प्रभावती कोल इसी ग्राम पंचायत की निवासी हैं।

शोध सीमा-

प्रस्तुत शोध उत्तरप्रदेश राज्य के शंकरगढ़ ब्लाक के जनवाँ गाँव के तीन सिलिका खदानों के क्षेत्रीय अध्ययन पर सीमित है। शोध निश्चय ही श्रम एवं पैसे के अभाव में अतिसूक्ष्म है। इसलिए इससे निकलने वाले तथ्यों के सैद्धान्तिक विश्व की सीमाएं हैं।

मूलभूत शोध प्रश्नों का जबाब

सिलिका खदान श्रमिकों की सामाजिक –आर्थिक स्थिति क्या है?

तालिका 3.1,3.2,3.3,3.6,3.7,एवं जाति संवर्ग,धर्म के सम्बन्ध में पाए गये तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है की खदानों में बाल श्रमिक कार्यरत हैं, खदानों में 51.9 प्रतिशत युवा श्रमिक हैं, 79.6 प्रतिशत खदान श्रमिक एकल परिवार में रहते हैं। सभी खदान श्रमिक अनुसूचित जाति के हैं और हिंदू धर्म से सम्बन्ध रखते हैं। 65.7 प्रतिशत खदान श्रमिक अशिक्षित हैं। वहीं 77.8 प्रतिशत खदान श्रमिक ए. पी. एल. में आते हैं। सिर्फ 22.2 प्रतिशत खदान श्रमिक बी0पी0ल0 के नजदीक हैं।

सिलिका खदान में पर्यावरण एवं माइन एक्ट के क्रियान्वयन की वास्तविकता क्या है?

तालिका 4.7,कार्य के घण्टे,खदानों में प्रशिक्षिण,खदानों में हाजिरी की स्थिति, ई. पी. एफ. की सुविधा। पीने के पानी की सुविधा,खदान में विश्रामालय की व्यवस्था,बच्चों की देख –रेख की व्यवस्था,खदानों में मास्क की सुविधा,खदानों में हेलमेट की सुविधा,खदानों मे चस्मा की सुविधा,खदानों में दस्ताना की सुविधा, खदानों में घायल होने पर उपचार की व्यवस्था, खदान विस्फोट से मृतक होने पर परिवार को आर्थिक मदद,8 घण्टे से अधिक कार्य करने पर वेतन की स्थिति, पहचान टोकन की स्थिति, खदान गढ्ढो भरने की स्थिति, क्रेसर मशीनों के प्रभाव के प्रश्नों के जबाब के आधार पर कहा जा सकता है की माइन एक्ट एवं पर्यावरण एक्ट का क्रियान्वयन सिलिका खदान उद्योग में नहीं हो रहा है। खदान मालिकों द्वारा इन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है।

सिलिका खदान मजदूरों की कार्य स्थिति कैसी है? तथा उनकी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं ?

कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति खदान श्रमिकों की कार्य स्थिति को स्पष्ट करती है। कार्यस्थल पर खदान श्रमिकों के लिए न विश्रामालय की व्यवस्था न पीने के पानी की व्यवस्था है, न बच्चों की देख-रेख की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है और न ही कार्यस्थल पर सिलिका खदान श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण एवं उपचार की व्यवस्था है अकुशल खदान श्रमिकों से खदान विस्फोट जैसा प्रशिक्षित कार्य लिया जा रहा है। खदान श्रमिकों को कार्यस्थल पर न पहचान टोकन दिया जाता है न ही हाजिरी रजिस्टर रखा जाता है। वहीं सिलिका खदान श्रमिकों की प्रमुख समस्याएँ प्राप्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकार हैं -

सामाजिक समस्या-

- खदान श्रमिकों में कोल आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (ST)का दर्जा नहीं प्राप्त है।
- खदान श्रमिकों में जातिय भेद -भाव की समस्या है।
- खदान श्रमिकों अधिकांश हिस्सा अशिक्षित हैं।
- सिलिका खदान श्रमिक के पास शौचालय नहीं है।

आर्थिक समस्या –

- माइंस एक्ट के क्रियान्वयन न होने से कार्यस्थल पर श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण, पीने के पानी की व्यवस्था, विश्रामालय,पहचान टोकन, हाजिरी रजिस्टर, उपचार की व्यवस्था, शौचालय, बच्चों की देख-रेख की व्यवस्था नहीं है।
- खदान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और ई0 पी0 एफ0 नहीं मिलता है।
- भारत सरकार द्वारा संचालित खदान श्रमिक कल्याणकारी योजना में सिलिका खदान श्रमिक शामिल नहीं हैं।
- खदान श्रमिक महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है।
- खदान विस्फोट जैसा कुशल कार्य अकुशल श्रमिकों से कराया जा रहा है।
- खदानों में बालश्रमिक कार्यरत हैं।
- खदान श्रमिक 10घंटे कार्य कर रहे हैं।
- खदान श्रमिकों श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं है।

स्वास्थ्य समस्याएं –

- व्यवसायिक बीमारी सिलिकोसिस से खदान श्रमिकों की मौत हो रही है और वे बीमार हो रहे हैं।
- सरकारी स्तर पर सिलिकोसिस जाँच, प्रमाण पत्र,इलाज, मुवावजे की कोई व्यवस्था नहीं है।
- खदान श्रमिक बरसात के मौसम में मलेरिया एवं हैजा बीमारी से प्रति वर्ष पीड़ित हो रहे हैं और मरते हैं।
- मलेरिया उन्मूलन/बचाव हेतु सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं दिखता है।

आवासीय समस्या –

- पीढ़ियों से रह रहे जंगलवासी खदान श्रमिकों को उनकी अपनी पुस्तैनी जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं है।
- वनाधिकार कानून 2006 शंकरगढ़ क्षेत्र में लागू नहीं हो पाया है।
- खदान श्रमिकों के पास कच्चे मकान है।

पर्यावरण समस्या -

- खदान मालिकों द्वारा खदान गढढो को भरा नहीं जा रहा है,जो मलेरिया बीमारी का कारण बन रहा है।
- क्रेसर मशीनों से सिलिका धूल का पुरे क्षेत्र में फैलाव हो रहा है।

समाजकार्य हस्तक्षेप –

सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए हस्तक्षेप से तात्पर्य किसी व्यक्ति /समूह /समुदाय विशेष को प्रभावित करना है। शोधकर्ता ने खदान श्रमिकों में बदलाव के उद्देश्य से लगभग 10वर्षों के अंतराल में निम्नतः समाज कार्यात्मक हस्तक्षेप किया गया है जो इस प्रकार है –

खदान मजदूरों के बीच अब तक किये गये कार्य –

कार्य का प्रारंभ –

शोधकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सन 2007 से शंकरगढ़ उद्योग में कार्यरत खदान मजदूरों के बीच कार्य कर रहा है। सर्वप्रथम शोधकर्ता ने सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर खदान श्रमिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और उनके वैधानिक अधिकारों की जानकारी हासिल की जिससे निम्न महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई –कार्यस्थल पर माइंस एक्ट १९५२ के तहत सुरक्षा उपकरण एवं अन्य सुविधाओं से खदान श्रमिक वंचित हैं,भारत सरकार द्वारा संचालित खदान श्रमिक कल्याणकारी योजना से शंकरगढ़ के सिलिका /पत्थर खदान श्रमिकों को शामिल नहीं किया

गया है। खदान मालिकों द्वारा खदान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी एवं ई0 पी0 एफ0 की सुविधा नहीं दी जा रही है। शंकरगढ़ रानी राजेद्र कुमारी बा का 46गांवों (16000 हेक्टेयर भूमि) का खनन पट्टा माइंस एक्ट १९५२ के तहत आवंटित नहीं है और रानी के आवंटित खनन गांवों में अपनी नीजी पुस्तैनी भूमि पर भी स्थानीय लोग खनन पट्टा नहीं बनवा सकते थे। राजपरिवार शंकरगढ़ का न केवल मुख्य व्यवसायी है बल्कि स्थानीय ठाकुर –ब्राह्मण दबंग ठेकेदारों का संरक्षक भी रहा है। इन सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी खदान मजदूरों के बीच संगठन बनाने की समस्या क्योंकि खदान श्रमिकों पर स्थानीय ठेकेदारों का मजबूत प्रभाव एवं दबदबा था।

खदान मजदूर यूनियन का निर्माण-

समस्याओं की जानकरी के बाद 1 वर्ष तक खदान मजदूरों से शोधकर्ता उनके बीच रह कर संपर्क बनता रहा और उपरोक्त समस्याओं पर चर्चा करता रहा और ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के साथ उत्पीडन एवं बलत्कार की घटनाओं में हस्तक्षेप भी करता रहा। इससे खदान श्रमिकों में संगठन बनाने की जरुरत महसूस हुई और सन २००8 में खदान मजदूर यूनियन बनाने का प्रयास शुरू हो सका और 7 सदस्यों की सहमति से खदान मजदूर यूनियन इलाहबाद के नाम से संगठन बनाने पर सहमति बनी और आम सभा बुलाने का निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम आयोजित आम सभा में 110 खदान श्रमिक शामिल हुए और इन्होंने खदान मजदूर यूनियन की सदस्यता ग्रहण की तथा अपने बीच से 15 सदस्यी कार्यकारणी का निर्माण किया और कार्यकारणी ने प्रभावती कोल को अध्यक्ष और शोधार्थी सामाजिक कार्यकर्ता को विशिष्ट सदस्य के बतौर महासचिव चुना क्योंकि खदान श्रमिक लिखा –पढ़ी का कार्य नहीं जानते थे। इसके अतिरिक्त 2 उपाध्यक्ष,2 सचिव,एक कोषाध्यक्ष,एक संगठन मंत्री,एक कार्यालय सचिव का चुनाव किया गया। इसके बाद खदान मजदूर यूनियन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गयी अंततः 29 अक्तूबर २००९ को खदान मजदूर यूनियन पंजीकृत हो गयी।

खदान मजदूरों की समस्याओं पर संघर्ष –

खदान मजदूर यूनियन के पंजीकरण के बाद खदान मजदूरों की समस्या पर संघर्ष शुरू किया गया जो इस प्रकार रहे –

सिलिका सैंड लोडिंग मजदूरी बढ़ाने का संघर्ष – सन 2009 में शंकरगढ़ के सिलिका सैंड उद्योग में सिलिका सैंड लोडिंग मजदूरी प्रति टन 20 रुपये थी। खदान श्रमिकों ने लोडिंग मजदूरी 30 रुपये प्रति टन बढ़ाने की मांग को लेकर आन्दोलन शुरू किया। खदान मजदूर यूनियन के पत्र पर उपजिलाधिकारी ने हस्तक्षेप किया परिणामस्वरूप खदान मजदूर यूनियन प्रतिनिधि,खदान मालिकों,पत्रकारों,शंकरगढ़ पुलिस की उपस्थिति में वार्ता हुई और 30 रुपये प्रति टन लोडिंग मजदूरी बढ़ी।

शंकरगढ़ रानी राजेन्द्र कुमारी बा के खनन कार्य की जाँच –

खदान मजदूर यूनियन एवं जन संघर्ष मोर्चा द्वारा दिये गये पत्र के आधार पर खान सुरक्षा निदेशक वाराणसी क्षेत्र द्वारा 29एवं 30 अगस्त 2011 में बिहरिया,गढ़वा,प्रतापपुर,परवेजाबाद,मदुरी,घोघर सहित रानी के 46 गांवों के खनन पट्टों की जाँच की गयी। जाँच की रिपोर्ट 8/9/2011 को जारी किया गया। जाँच में मजदूरों की हाजिरी रिकार्ड का न मिलना,कार्यस्थल पर पीने के पानी,प्राथमिक उपचार,रेस्ट सेल्टर की व्यवस्था न होना और न्यूनतम मजदूरी व ई0पी0 एफ0 की सुविधा न दिया जाना एवं सुरक्षा उपकरण और अन्य सुविधा के न दिये जाने के मामले में उल्लंघन पाया गया। इसके बाद 9/10/2011 को खान सुरक्षा निदेशक वाराणसी क्षेत्र ने पुनः रानी को चेतावनी पत्र भेजा की नियमों का अनुपालन करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 20/10/2011 को भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक के कार्यालय द्वारा भी रानी को 46 गांवों में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के उल्लंघन किये जाने की चेतावनी देते हुये खनन कार्य निलंबित किये जाने की बात किया गया। बावजूद रानी द्वारा नियम उल्लंघन की कार्यवाही जारी रही।

शंकरगढ़ रानी के अवैध खनन पट्टे के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा –

खदान मजदूर यूनियन,जन संघर्ष मोर्चा और अन्य संगठनों ने रानी राजेन्द्र कुमारी बा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। और 2015 में अंततः हाईकोर्ट ने रानी राजेन्द्र कुमारी बा के 46 गांवों के खनन पट्टे को अवैध घोषित कर दिया और सन 1959 से खनन रायल्टी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूलने का आदेश जारी किया। रानी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयीं थी। इस बीच रानी का 2017 में देहांत हो गया है। आशा है की अब 46 गाँव शंकरगढ़ राजपरिवार से मुक्त हो जाये।

सिलिका सैंड खदान मालिकों को ई0पी0एफ0 हेतु नोटिस –

प्रमुख सचिव,श्रम विभाग,उ0 प्र0 शासन ने खदान मजदूर यूनियन,जन संघर्ष मोर्चा के पत्र का अवलोकन करते हुए 14/10/2011 को एडीशनल सेंट्रल पी0 एफ0 कमिश्नर ई0 पी0 एफ0 आर्गनाइज़ेशन यूनाइटेड टावर लीडर रोड इलाहाबाद एवं उप श्रमायुक्त इलाहाबाद को निर्देश दिया की सिलिका खदान मालिकों के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी और ई. पी. एफ. पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाय। इस निर्देश के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद ने 3/11/11 को सिलिका सैंड के 24 खदान मालिकों को नोटिस भेजा। जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो पायी है।

खदान श्रमिकों का वनभूमि पर आवासीय मालिकाना का संघर्ष –

शोधार्थी ने अपने डाटा एकत्रीकरण के दौरान छिपिया गाँव में वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी बारा मुख्यालय पर खदान मजदूर यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया था। और मांग पत्र सौंपा था। जिस पर अभी मजदूरों के पक्ष में रिपोर्ट आ गयी है। आगे का संघर्ष जारी है।

समाजकार्य हस्तक्षेप की संभावनाएं एवं निदानात्मक सुझाव –

प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से सिलिका खदान श्रमिकों की सामाजिक,आर्थिक,स्वास्थ्य,आवास एवं पर्यावरण की प्रमुख समस्याएँ ऊभर कर सामने आयीं हैं। प्रस्तुत अध्याय में इन निष्कर्षों के आधार पर शोधार्थी के द्वारा भविष्य में समाज कार्य हस्तक्षेप की संभावना एवं निदानात्मक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जो इस प्रकार हैं –

सामाजिक समस्या –

- खदान श्रमिकों में कोल आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्राप्त नहीं है -

सुझाव –केंद्र एवं प्रदेश सरकार को खदान श्रमिक कोल आदिवासियों को उनकी जन्मजात पहचान अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में रखने के लिए पहल करना चाहिए और उ0 प्र0 की अन्य आदिवासी जातियों गोंड,खरवार,चेरो,पनिका की तरह कोल आदिवासियों को भी जनजाति का दर्जा तत्काल उपलब्ध करना चाहिए। क्योंकि उ0 प्र0 में कोल जाति समूचे पठारी अंचल में निवास करती है और आदिवासियों की प्रमुख जाति है जो लगभग 1000 किलोमीटर के दायरे में है। इस दिशा में गैर सरकारी संस्थाओं को भी पहल करना चाहिए और सरकार को सुझाव भेजना चाहिए। साथ ही कोल आदिवासियों को ST का दर्जा न दिये जाने के कारणों पर शोध किया जाना चाहिए।

- खदान श्रमिकों के साथ जातीय भेद –भाव की समस्या है –

सुझाव - इस दिशा में सामाजिक संगठन /यूनियन जो उनके बीच कार्यरत हैं उनके माध्यम से जातीय भेद –भाव के खिलाफ क्षेत्र में जन अभियान चलाने में सरकारी स्तर पहल करना चाहिए।

- खदान श्रमिकों की 65 .7 आबादी अशिक्षित है –

सुझाव –सरकारी स्तर पर खदान श्रमिकों में कार्यरत संगठनों के माध्यम से साक्षरता अभियान संचालित करना चाहिए और गैर सरकारी संगठन भी सचेत प्रयास से उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास करें।

- सभी सिलिका खदान श्रमिकों के घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है-

सुझाव - भारत सरकार द्वारा संचालित खदान श्रमिक कल्याणकारी योजना में सिलिका /पत्थर खदान श्रमिकों को शामिल कर उस योजना के तहत शौचालय की सुविधा देना चाहिए।

आर्थिक समस्या –

- सिलिका खदान मालिकों द्वारा माइंस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है-

सुझाव –कार्यस्थल पर कामगारों को मिलने वाली सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समितियों के निर्माण करने की जरूरत है जिसमें श्रम विभाग,खदान मजदूर यूनियन,खनन विभाग एवं जिलाधिकारी को शामिल करना चाहिए एवं जिलाधिकारी को जबाबदेह बनाया जाना चाहिए।

- खदान श्रमिकों का जिले स्तर पर पंजीकरण नहीं है –

सुझाव –खदानों में कार्यरत श्रमिकों का जिला श्रम विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना चाहिए इसके बगैर खादन कार्य पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और कोई खदान मालिक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका खनन पट्टा रद्द करने का प्रावधान बनाना चाहिए। प्रतिवर्ष श्रम विभाग को D G M S को श्रमिकोंकी संख्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट देना अनिवार्य करना चाहिए। और दुर्घटनाओं की सूचना के लिए श्रम विभाग को जबाबदेह बनाया जाना चाहिए। और D G M S द्वारा प्रतिवर्ष मजदूर संख्या के आंकड़े प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

- खदान श्रमिक कल्याणकारी योजना में सिलिका खदान श्रमिक शामिल नहीं हैं-

सुझाव - केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा सिलिका /पत्थर खदान श्रमिकों को खदान श्रमिक कल्याणकारी योजना में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए और उसके तहत मिलने वाली सुविधाओं की गारंटी करनी चाहिए।

स्वास्थ्य समस्याएँ-

- सिलिका खदानों की व्यवसायिक बीमारी सिलिकोसिस की जाँच,प्रमाण पत्र,इलाज,मुवावजा की कोई व्यवस्था नहीं है-

सुझाव - उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवसायिक बीमारी के लिए सिलिका प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम बनाकर सम्पूर्ण खदान उद्योग के श्रमिकों की जांच,प्रमाण पत्र,इलाज एवं मुवावजे की व्यवस्था करनी चाहिए। जिला स्तर पर मुख्य स्वस्थ अधिकारी को जबाबदेह बनाया जाना चाहिए। और उसके नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण करना चाहिए जो खदान उद्योग स्वास्थ्य कमेटी के नाम से जानी जाय। जिसमें खदान श्रमिकों के स्वास्थ्य से जुड़े सभी संगठन एवं उनके कल्याण हेतु कार्यरत सभी संगठन शामिल हों।

- शंकरगढ़ क्षेत्र में मलेरिया बीमारी का फैलाव है –

सुझाव –सरकार विशेष अभियान चलाकर शंकरगढ़ के खदान गढढो को खदान मालिकों से भरवाने का कार्य करे। साथ मलेरिया उन्मूलन हेतु WHO के अभियान को संचालित करते हुए मलेरिया विभाग को इस कार्य हेतु जबाबदेह बनाया जाय।

आवासीय समस्या-

जंगलवासी खदान श्रमिकों को जहाँ जंगल भूमि पर पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वहां आवासीय मालिकाना अधिकार की समस्या है –

सुझाव –वन अधिकार कानून 2006 को लागू करते हुए वन भूमि पर आबाद सभी परम्परागत जंगलवासियों को सामुदायिक मालिकाना हक दिया जाय। सरकार 75 वर्षीय प्रमाण की अनिवार्ययता समाप्त कर एसटी के प्रावधान को अन्य परम्परागत जंगलवासियों के लिए भी लागू करे।

- 72 .2 प्रतिशत खदान श्रमिकों के पास खपरैल एवं मिट्टी की दीवार का बना घर है –

सुझाव –भारत सरकार द्वारा संचालित खदान श्रमिक कल्याणकारी योजना में सिलिका /पत्थर खदान श्रमिकों को शामिल कर उस योजना के तहत आवास की सुविधा देना चाहिए।

पर्यावरण समस्या –

- खदानों में कार्य समाप्त होने के बाद खदान मालिकों द्वारा खदान गढढो को भरा नहीं जा रहा है-

सुझाव - सरकार विशेष अभियान चलाकर शंकरगढ़ के खदान गढढो को खदान मालिकों से भरवाने का कार्य करे। और पर्यावरण (खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली 1988)का क्रियान्वयनअनिवार्य रूप से किया जाय।

- क्रेसर मशीनों से सिलिका धूल का फैलाव शंकरगढ़ क्षेत्र में हो रहा है-

सुझाव –वायु संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का क्रियान्वयन करते हुए धूल नियंत्रण सीमा का पालन किया जाय।

निष्कर्ष

सिलिका खदानों में कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है की सिलिका खदान मालिकों द्वारा माइंस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है और खदान श्रमिकों को उनका वैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। खदान श्रमिक न्यूनतम मजदूरी एवं ई0 पी0 एफ0 की सुविधा से वंचित हैं। सिलिका खदानों की व्यवसायिक बीमारी सिलिकोसिस की जाँच,प्रमाण पत्र,इलाज,मुवावजा की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवसायिक बीमारी के लिए सिलिका प्रकोष्ठ का गठन तक नहीं किया जा सका है। 79.6प्रतिशत खदान श्रमिक एकल परिवार में रहते हैं। सिलिका खदानों में कार्यरत 100प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति के हैं जिसमें कोल आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। कोल आदिवासी श्रमिक अनुसूचित जनजाति (ST)में शामिल नहीं हैं उत्तरप्रदेश में इन्हें STश्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं है। जबकि मध्यप्रदेश में इन्हें STश्रेणी में रखा गया है। कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर /मृतक होने पर खदान श्रमिकों को खदान मालिकों/सरकारी स्तर पर आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। खदानों में कार्य समाप्त होने के बाद खदान मालिकों द्वारा खदान गढढो को भरा नहीं जा रहा है। क्रेसर मशीनों से सिलिका धूल का फैलाव शंकरगढ़ क्षेत्र में हो रहा है जो स्थानीय लोगों के सिलिकोसिस बीमारी का कारण बनेगा क्योंकि अभी तक यह बीमारी सिलिका खदान में कार्यरत श्रमिकों तक सीमित रही है। केंद्र सरकार द्वारा खदान श्रमिकों के लिए संचालित ‘‘खदान श्रमिक कल्याणकारी योजना ‘‘में सिलिका खदान श्रमिक शामिल नहीं हैं। परिणामस्वरूप इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जबकि मिर्जापुर-सोनभद्र के चूना पत्थर एवं डोलोमाईट खदान श्रमिकों में यह योजना संचालित की जा रही है। खदान श्रमिक महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। खदान श्रमिकों का प्रशिक्षण नहीं होता है। जबकि खदान विस्फोट का कार्य लिया जा रहा है जो प्रशिक्षित श्रमिकों का कार्य है। खदान उद्योग में बालश्रमिक भी कार्य कर रहे हैं। खदान श्रमिकों से 10 घंटे कार्य कराया जा रहा है और 8 घंटे से अधिक कार्य कराये जाने का अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। सामाजिक स्तर पर खदान श्रमिकों के साथ जातिय, लिंग का भेद–भाव हो रहा है यह भेद–भाव खान-पान के रूप में,मजदूरी देने के रूप में,जातिय उंच–नीच के रूप में दिखता है। खदान श्रमिकों में 65 .7 आबादी अशिक्षित है। सिलिका खदान श्रमिकों के घरों में 100 के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। शंकरगढ़ क्षेत्र में मलेरिया बीमारी का फैलाव है जिससे खदान श्रमिक प्रभावित होते है। बरसात में पानी की समस्या से हैजा बीमारी भी होती है। जंगलवासी खदान श्रमिकों को जहाँ जंगल भूमि पर पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वहां आवासीय मालिकाना अधिकार की समस्या है। 72 .2 प्रतिशत खदान श्रमिकों के पास खपरैल एवं मिट्टी की दीवार का बना घर है। खदान श्रमिकों का जिले स्तर पंजीकरण नहीं है।